

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या : 15/औ०-13-06/2024...../स्वा०/पटना/दिनांक-2026

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०- 7566, दिनांक- 14.07.2010 एवं पत्रांक- 10543, दिनांक- 06.10.2025 में निहित निदेश के आलोक में दिनांक- 19.06.2026 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा एवं दिनांक- 14.07.2026 को अपराह्न 04:30 बजे विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संवर्ग के निम्नांकित कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	प्रथम प्रभार ग्रहण/योगदान की तिथि	प्रथम एम०ए०सी०पी० की तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय एम०ए०सी०पी० की तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	श्री सच्चिदानन्द प्रसाद	सहायक औषधि नियंत्रक, गयाजी शहरी	06 01 2004	प्रथम- 06 01 2014 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 06.01 2024 से देय। वेतन स्तर-12
2	श्रीमती संगीता कुमारी	सहायक औषधि नियंत्रक, सहरसा	25 06 2004	प्रथम- 25.06 2014 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 25 06 2024 से देय। वेतन स्तर-12
3	श्रीमती नीना कुमारी	सहायक औषधि नियंत्रक, गया ग्रामीण	09 01 2004	प्रथम- 09 01.2014 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय-09 01 2024 से देय। वेतन स्तर-12
4	श्रीमती कृष्णा कुमारी	औषधि निरीक्षक, सहरसा-02	13 12 2005	प्रथम- 03 12 2015 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 13.12 2025 से देय। वेतन स्तर-12
5	श्रीमती सीमा कुमारी	औषधि निरीक्षक, नालदा-01	01 12 2005	प्रथम-01 12 2015 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय-01 12 2025 से देय। वेतन स्तर-12
6	श्री शशि भूषण कुमार सिन्हा	औषधि निरीक्षक, मुख्यालय, पटना	30 11 2005	प्रथम- 30 11 2015 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 30 11 2025 से देय। वेतन स्तर-12
7	मो० कयुमुद्दीन असारो	औषधि निरीक्षक, गया-02	01 12 2005	प्रथम- 01.12 2015 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 01 12.2025 से देय। वेतन स्तर-12
8	श्री सुरेन्द्र राम	औषधि निरीक्षक, दरभंगा-05	03 12 2005	प्रथम- 03 12 2015 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 03 12 2025 से देय। वेतन स्तर-12
9	श्रीमती किरण कुमारी	औषधि निरीक्षक, बाँका-01	12 12 2005	प्रथम-12 12 2015 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय-12 12 2025 से देय। वेतन स्तर-12
10	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर-03	01 12 2005	प्रथम- 01 12 2015 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 01.12.2025 से देय। वेतन स्तर-12
11	श्री निशी लेतारे तोपनो	औषधि निरीक्षक, पटना-09	14 01 2004	प्रथम- 14 01 2014 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय- 14 01 2024 से देय। वेतन स्तर-12
12	श्री अमोद कुमार प्रसाद	सेवानिवृत्त सहायक औषधि नियंत्रक	10 01 2004	प्रथम- 10 01 2014 पूर्व से प्राप्त। वेतन स्तर-11	द्वितीय-10 01.2024 से देय। वेतन स्तर-12

- उक्त पदाधिकारियों के द्वारा MACP की सभी शर्तों को पूरा करने के फलस्वरूप कॉलम-06 में अंकित तिथि के प्रभाव से द्वितीय MACP का लाभ अनुमान्य किया जाता है।
- (i) निगरानी विभाग का पत्रांक-8153, दिनांक-11.12.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती संगीता कुमारी के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-61/13, दिनांक- 25.

09.2013 अनुसंधानान्तर्गत है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-9217, दिनांक-25.05.2026 के अनुसार "किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही FIR दर्ज होने अथवा अभियोजन स्वीकृत होने की तिथि से प्रारंभ नहीं समझी जायेगी बल्कि उस तिथि से प्रारंभ/लंबित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित (Charge frame) किया गया हो।" अतः श्रीमती कुमारी के विरुद्ध मात्र मामला अनुसंधानान्तर्गत होने से उनके एम०ए०सी०पी० लंबित नहीं किया जा सकता है इस प्रकार दिनांक-25.06.2024 के प्रभाव से द्वितीय एम०ए०सी०पी० देय है।

(ii) श्रीमती कृष्णा कुमारी का प्रथम योगदान की तिथि-03.12.2005 है एवं प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि-13.12.2005 है एवं इस बीच के अवधि का विनियमन आदेश अप्राप्त है इसलिए इनके द्वितीय एम०ए०सी०पी० का देय तिथि इनके प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि से 20 वर्ष पूरा होने की तिथि-13.12.2025 से देय होगी।

4. उक्त देय एम०ए०सी०पी० के फलस्वरूप वेतन/पेंशन का निर्धारण वित्त विभाग के परिपत्रों के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
5. प्रथम कंडिका में अंकित पदाधिकारियों के नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल/जन्म तिथि/प्रभार ग्रहण की तिथि एवं एम०ए०सी०पी० की अनुमान्यता की तिथि आदि में त्रुटि/टंकण त्रुटि पाये जाने की स्थिति में अपेक्षित संशोधन अथवा निरस्तीकरण सचिव, स्वास्थ्य से अन्यून पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत की जाएगी।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या : 15/औ०-13-06/2024...765(15A)/स्वा०/पटना/दिनांक- 30/07/2026

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — निदेशक प्रमुख (प्रभारी प्रशाखा- 15ए)/राज्य औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक —सह— मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१५

Kar.

- प्रतिलिपि – औषधि नियंत्रण संवर्ग के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
७४५